रामपत
9 d.

27/11/25 पत्रावली मूल वाद के साथ
पेश हुई। वकील वादी प्रार्थी उपस्थित
मूल वाद नोट-प्रेस में शामिल
किया जा चुका है इसलिए यह पत्रावली
में आगे कार्यवाही किया जाना उचित
नहीं है। मूल वाद के निर्णय पर यह
पत्रावली नोट-प्रेस में शामिल की
जाती है। पत्रावली फैसल शुमार
होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति
मूल वाद के साथ संलग्न रहे

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-[redacted]